# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर. ए. एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 24/18 निर्णय दिनांकः—21.08.2019

1. भंवर कंवर आयु 67 वर्ष पत्नी स्व. कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोटिया तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
2. अर्जुनसिंह आयु 39 वर्ष पुत्र कानसिंह जाति राजपमत निवासी ग्राम खोटिया तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....प्रार्थीगण

**बनाम**

1. किशनसिंह आयु 60 वर्ष
2. जीवराजसिंह उम्र 58 वर्ष
3. यशवंतसिंह आयु 52 वर्ष समस्त पुत्रगण सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोटिया तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
4. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
5. प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अं. धारा 212 राज. काश्तकारी अनिधनियम एवं सपठित धारा 151 जा.दी.**

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री भीमसिंह (प्रार्थीगण की ओर से )

**—:निर्णयः—**

प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 345 रकबा 1.23 हैक्टेयर जिसका साबिक खसरा नम्बर 221/1 था व खसरा नम्बर 361 रकबा 0.81 हैक्टेयर जिसका साबिक खसरा नम्बर 221/2 वाके ग्राम खोटिया तहसील रामगढ़ शेखावाटी में अवस्थित है, उक्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक वंशानुगत कृषि भूमियां है, जिनके एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण के नाम उक्त भूमियों की खातेदारी विधिवत बनी हुई है।

विवादित आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज कानसिंह की स्व अर्जित कृषि भूमियां है जिनका एकान्तिक काबिज खातेदार काश्तकार मृत्यु पर्यन्त रहता रहा है और कानसिंह की मृत्यु के बाद उक्त भूमियों के एकान्तिक खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण साधिकार है। प्रार्थीगण का उक्त भूमियों पर भौतिक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग निरन्तर निर्बाध रूप से साधिकार आज तक चला आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 01ता03 का उक्त विवादित आराजी से कोई सम्बंध सरोकार कतई कभी भी नहीं रहा और ना ही अब है।

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण को उक्त भूमियां पैत्रिक रूप से उत्तराधिकार में प्राप्त होकर प्रार्थीगण के एकान्तिक कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में हक अधिकार की होने से प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 को उक्त भूमियों के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल देने दिलाने से तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमियों से जबरन बेदखल करने करवाने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित करनवाने के अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा बहस में कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण की पैतृक वंशानुगत कृषि भूमियां है जिनके एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण उक्त भूमियों में जबरन बेदखल करने करवाने में प्रयासरत है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नही है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व तर्को पर मनन किया गया। चूकिं प्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 345 व खसरा नम्बर 361 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। प्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज कब्जेकाश्त व अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाब पेश नही होने की स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में सिद्ध प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर काश्त न करने की स्थिति में प्रार्थीगण को आर्थिक हानि हो सकती है, भूमि उर्वरता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

**—:आदेशः—**

अतः आदेश है कि अप्रार्थीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 1.23 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 361 रकबा 0.81 हैक्टेयर वाके ग्राम खोटिया तहसील रामगढ़ शेखावाटी पर अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग—उपभोग में किसी भी प्रकार की दखल व जबरन कब्जा करने करवाने जैसे कार्य नही करेगें। आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)

Scanned by CamScanner